

बिहार सरकार,
कृषि विभाग

पत्र संख्या-पी०पी०एम०-82/2016 3245 /कृ०, पटना, दिनांक- 16-08-2017

प्रेषक,

सुधीर कुमार,
प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

(+) अनौपचारिक रूप से परामर्शित। द्वारा : वित्त विभाग, बिहार, पटना। (+)

विषय : बिहार बागवानी विकास सोसाइटी को राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत Vegetable Initiative for Urban Clusters (VIUC) कार्यक्रम के लिए वित्तीय वर्ष 2016-17 में केन्द्रांश मद 540.00 लाख (पाँच करोड़ चालीस लाख रुपये) एवं राज्यांश 360.00 लाख (तीन करोड़ साठ लाख रुपये) कुल 900.00 लाख (नौ करोड़) रुपये की लागत पर योजना का कार्यान्वयन एवं व्यय की स्वीकृति के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2017-18 में सीतामढ़ी जिला को 64.39550 लाख रुपये (केन्द्रांश 38.6373 लाख एवं राज्यांश 25.7582 लाख रुपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।

आदेश - स्वीकृत।

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-5214 दिनांक 14.12.2016 के प्रसंग में बिहार बागवानी विकास सोसाइटी को राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत Vegetable Initiative for Urban Clusters (VIUC) कार्यक्रम के लिए वित्तीय वर्ष 2016-17 में केन्द्रांश मद 540.00 लाख (पाँच करोड़ चालीस लाख रुपये) एवं राज्यांश 360.00 लाख (तीन करोड़ साठ लाख रुपये) कुल 900.00 लाख (नौ करोड़) रुपये की लागत पर योजना का कार्यान्वयन एवं व्यय की स्वीकृति के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2017-18 में सीतामढ़ी जिला को 64.39550 लाख रुपये (केन्द्रांश 38.6373 लाख एवं राज्यांश 25.7582 लाख रुपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. भारत सरकार से केन्द्रांश मद में राशि विमुक्त होने पर आवंटनादेश निर्गत किया जा सकेगा। भारत सरकार, कृषि मंत्रालय के पत्रांक 7-3/2017-RKVY दिनांक 24.04.2017 द्वारा वर्ष 2016-17 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अन्तर्गत अव्यवहृत राशि को सितम्बर, 2017 तक के लिए पुनर्वैधिकृत किया गया है। उक्त आलोक में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-5214 दिनांक 14.12.2016 में सीतामढ़ी जिला द्वारा निकासी नहीं की जा सकी राशि 64.39550 लाख रुपये (केन्द्रांश 38.6373 लाख एवं राज्यांश 25.7582 लाख रुपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

3. सीतामढ़ी जिला का प्रस्तावित कार्यक्रम भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य अनुसूची-1 तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अनुसूची-2 पर संलग्न है।

4. अन्य सभी शर्तें विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-5214 दिनांक 14.12.2016 के अनुसार यथावत रहेंगी

5. बजट शीर्ष एवं बजट उपबंध निम्न प्रकार है,

(राशि लाख रुपये में)

बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	प्रस्तावित राशि
राज्यांश		
मुख्य शीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म-उपमुख्य शीर्ष-00 लघु शीर्ष-109-विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण मांग सं०-1 उपशीर्ष-0316-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर०के०वी०वाई०) (ए०सी०ए०), विपत्रकोड- 01-2401001090316, पी०एफ०एम०एस०कोड-9145 विषय शीर्ष- 0316.31.06 सहायक अनुदान-गैर वेतन	14525.00	21.3800
मुख्य शीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म-उपमुख्य शीर्ष-00 लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-मांग सं०-1 उपशीर्ष-0303 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर०के०वी०वाई०) (ए०सी०ए०), विपत्र कोड-01-2401007890303, पी०एफ०एम०एस० कोड-9145 विषय शीर्ष-0303.31.06 सहायक अनुदान-गैर वेतन	2800.00	4.1200
मुख्य शीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म-उपमुख्य शीर्ष-00 लघु शीर्ष- 796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-मांग सं०-1 उपशीर्ष-0331-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर०के०वी०वाई०) (ए०सी०ए०), विपत्र कोड- 01-2401007960331, पी०एफ०एम०एस० कोड- 9145 विषय शीर्ष- 0331.31.06 सहायक अनुदान-गैर वेतन	175.00	0.2582
कुल	17500.00	25.7582
केन्द्रांश		
मुख्य शीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-109- विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण-मांग सं०-1 उपशीर्ष-0216-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई) (ए.सी.ए.),विपत्र कोड-01-2401001090216,पी.एफ.एम.एस. कोड-9145, विषयशीर्ष-0216.31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन	16600.00	32.0700
मुख्य शीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, मांग सं०-1 उपशीर्ष-0203-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई) (ए.सी.ए.), विपत्र कोड-01-2401007890203, पी.एफ.एम.एस. कोड-9145, विषयशीर्ष-0203.31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन	3200.00	6.1800
मुख्य शीर्ष 2401-फसल कृषि कर्म-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-796- जनजातीय क्षेत्र उप योजना-मांग सं०-1 उपशीर्ष 0231-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई) (ए.सी.ए.), विपत्रकोड-01-2401007960231,पी.एफ.एम.एस. कोड-9145, विषयशीर्ष-0231.31.06-सहायक अनुदान-गैर वेतन	200.00	0.3873
कुल	20000.00	38.6373
सकल योग	37500.00	64.3955

6. वित्त विभाग का संकल्प संख्या-3758 दिनांक 31.05.2017 में निहित प्रावधान के आलोक में योजना की स्वीकृति में प्रधान सचिव का अनुमोदन दिनांक 01.08.2017 को प्राप्त है।

7. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या-7355 वि० (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

8. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-पी०पी०एम०-82/2016 के पृ०सं०- 16/टि० पर दिनांक- 10.08.2017 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(Signature)
12.8.2018
(सुधीर कुमार)

प्रधान सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

/क०, पटना, दिनांक 16-08-2017

ज्ञापांक :-पी०पी०एम०-82/2016 3245

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(Signature)
12.8.2018
प्रधान सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सचि

ज्ञापांक :-पी०पी०एम०-82/2016 3245

/क०, पटना, दिनांक 16-08-2017

प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग एवं वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

[Handwritten Signature]
12-8-2017

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :-पी०पी०एम०-82/2016 3245

/क०, पटना, दिनांक 16-08-2017

प्रतिलिपि : सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

[Handwritten Signature]
12-8-2017

प्रधान सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :-पी०पी०एम०-82/2016 3245

/क०, पटना, दिनांक 16-08-2017

प्रतिलिपि :-माननीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना/निदेशक पी०पी०एम०, कृषि विभाग, पटना/संयुक्त निदेशक शष्य, (योजना), बिहार, पटना/संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी/उप निदेशक, उद्यान/सहायक निदेशक, उद्यान, सीतामढ़ी, नवादा, मधेपुरा/बजट एवं योजना शाखा, सचिवालय एवं कृषि निदेशालय, कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं उप कृषि निदेशक(सूचना), बिहार, पटना को विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

[Handwritten Signature]
12-8-2017

प्रधान सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

रवि